

रिपोर्ट पटवारी झामर कोटड़ा तहसील कुराबड जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंगित तथ्य राही है। ग्राम झामर कोटड़ा
की खाता संख्या 53 मे प्रार्थी का नाम नानाराम पुत्र शंकर दर्ज है,
जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दरतावेजो मे राही नाम नाना पुत्र शंकर दर्ज है। खाते
मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपघ्न है। अतः ग्राम झामर कोटड़ा की खाता
संख्या 53 मे दर्ज नाम नानाराम पुत्र शंकर को बजाय राही इन्द्राज नाना पुत्र शंकर
दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक

पटवारी
पटवारी
पटवार मण्डल-झामर कोटड़ा
तह-कुराबड, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय तहसीलदार कुराबड जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम झामर कोटड़ा

की जमाबन्दी की खाता संख्या 53 मे दर्ज नाम नानाराम पुत्र शंकर
के बजाय सही नाम नाना पुत्र शंकर दर्ज किया जाना

उचित है।

तहसीलदार
तहसीलदार कुराबड, जिला उदयपुर

248/2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा जिला उदयपुर
30-30/12/25 क्रमांक/4024 दिनांक 31/12/25
60-31/12/25 ::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड की रिपोर्ट एवं सलग्न

दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम

झामर कोटड़ा की जमाबन्दी की खाता संख्या 53 मे दर्ज नाम/इन्द्राज...
नानाराम पुत्र शंकर के बजाय सही नाम/इन्द्राज नाना पुत्र शंकर

दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराबड आदेशानुसार
राजस्व रिकार्ड मे अगल दरागद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर